

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ फौजदारी विविध याचिका नं. 831/2018

रूपसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य

आदेश दिनांक :

20.03.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री अनिल उपमन, अधिवक्ता— याची की ओर से।
श्री जीतेन्द्र श्रीमाली, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

प्रकरण दो सप्ताह बाद पुनः सूचीबद्ध किया जावे, तब तक पूर्व में पारित
अन्तरिम आदेश प्रभावी रहेगा।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति